रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 1976/आश्विन 16, 1898
No. 337] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 1976/ASVINA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPING AND RRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October 1976

G.S.R. 839(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975, which the Central Government propose to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Amendment

1. These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1976.

2. In the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. *Fees Payable.*—(1) Every Trustee of the Board, other than the Chairman, Deputy Chairman, or any other Trustee who is a servant of the Government, shall be entitled to a fee of—

(i) Rupees twenty-five for attendance at each ordinary or special meeting of the Board:

Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings held during any calendar month shall not in any case exceed Rupees one hundred and fifty;

(ii) Rupees fifteen for attendance at each meeting of any Committee other than the meeting of the Committee held on the same day in continuation or preparatory to, an ordinary or special meeting of the Board.

(2) A Trustee present at or for any meeting of the Board or a Committee thereof shall sign his name in a book or register to be kept for the purpose."

[No. PGL-24/74-III].

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1976

सा० का० नि० 839 (अ).—मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975 को संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार; उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिन पर उनका प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

2. ऐसी आपत्तियों या सुझावों पर, जो उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) संशोधन नियम, 1976 है।

2. मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975 में, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. **संदेय फीस.**—बोर्ड का प्रत्येक न्यासी, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य न्यासी से, जो सरकारी सेवक है, भिन्न है, निम्नलिखित फीस का हकदार होगा—

(i) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष अधिवेशन में उपस्थिति के लिए तीस रुपए :

परन्तु किसी कलैण्डर मास में हुए अधिवेशनों के संबंध में किसी न्यासी को संदेय फीस की कुल रकम किसी भी दशा में दो सौ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(ii) समिति के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन में जो बोर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशन के सातत्य में या उसकी तैयारी में उसी दिन हुए समिति के अधिवेशन से भिन्न हो उपस्थिति के लिए पन्द्रह रुपए ।

(2) बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या उसके लिए उपस्थित न्यासी उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक या रजिस्टर में अपने नाम के हस्ताक्षर करेगा" ।

[सं० पी० जी० एल०-24/74-III]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976